

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 855/जि0यो 08-प्र0वि0स्वी0/2022-23 दिनांक: 23/01/2023

कार्यालय ज्ञाप

56
24/01/2023

सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 683/125/रा0यो0आ0 2018-19 टी0सी0-1 10 मई, 2022 के अनुसार अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 321/14 (150) 2017/XXVII(1)/2022 दिनांक 20 2022 एव अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 88216/14 (150) 2017/XXVII(1)/2023 दिनांक 03 जनवरी, 2023 द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 1232.67 लाख ₹0, अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0 हेतु 418.67 लाख ₹0 तथा अनुदान संख्या -31 टी0एस0पी0 हेतु 104.33 लाख ₹0 इस प्रकार कुल 1755.67 लाख ₹0, द्वितीय किस्त अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या FINI-7/7.3/8/2022-XXVII finance Department -/14 (150) 2017/XXVII(1)/2022 दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 1232.67 लाख ₹0, अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0 हेतु 418.67 लाख ₹0 तथा अनुदान संख्या -31 टी0एस0पी0 हेतु 104.33 लाख ₹0 इस प्रकार कुल 1755.67 लाख ₹0 द्वितीय किस्त अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 88216/14 (150) 2017/XXVII(1)/2023 दिनांक 03 जनवरी, 2023 द्वारा अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 1232.66 लाख ₹0, अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0 हेतु 418.66 लाख ₹0 तथा अनुदान संख्या -31 टी0एस0पी0 हेतु 104.34 लाख ₹0 इस प्रकार कुल 1755.66 लाख ₹0 उपरोक्त तीनों किस्तों में कुल 5267.00 लाख ₹0 अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

लघुडाल विभाग पिथौरागढ़ का जिला योजना 2022-23 हेतु अनुमोदित परिष्यय ₹0 141.93 लाख के सापेक्ष अधिशायी अभियन्ता लघु डाल पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त हेतु 60.00 लाख ₹0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 516/27.08.2022 से धनराशि निर्गत की जा चुकी है। द्वितीय किस्त हेतु 32.25 लाख ₹0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 583/23.09.2022 से धनराशि निर्गत की जा चुकी है। तृतीय किस्त हेतु 49.68 लाख ₹0 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-

| क्र सं 0 | मद/कार्य का नाम | योजना की लागत | वर्ष 2021 में अवमुक्त धनराशि | वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित परिष्यय | प्रथम किस्त में निर्गत धनराशि | द्वितीय किस्त में निर्गत धनराशि | (धनराशि लाख ₹0 में) | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | तृतीय किस्त में धनराशि की मांग | | | | |
| | | | | | | | सामान्य | अनु जा0 | अ0ज0 जा0 | कुल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | मुवानी लिफ्ट सिचाई योजना जीर्णोद्धार (एस0सी0पी0) | 35.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | मैथली लिफ्ट सिचाई योजना जीर्णोद्धार | 41.47 | 20.00 | 21.47 | 18.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अमतड लिफ्ट सिचाई योजना | 101.07 | 18.50 | 48.00 | 13.50 | 14.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 4 | देवतपुरचौड़ा लिफ्ट सिचाई योजना | 98.21 | 18.50 | 47.46 | 13.50 | 14.78 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 |
| 5 | नीलडा लिफ्ट सिचाई योजना (नई योजना) | 95.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | योग- | 370.75 | 77.00 | 141.93 | 60.00 | 32.25 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.68 |


उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशायी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2022-23 के उक्त बचन बद्ध मद/चालू कार्य के सम्पादन हेतु अधिशायी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 321/14 (150) 2017/XXVII (1)/2022 दिनांक 20 मई, 2022 एवं अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या FINI-7/7.3/8/2022-XXVII finance Department-/14(150) 2017/XXVII (1)/ 2022 दिनांक 26 अगस्त, 2022, अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 88216/14 (150) 2017/XXVII (1)/2023 दिनांक 03 जनवरी, 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल ₹0 49.68 लाख (उनचास लाख उड़सठ हजार रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत कार्य पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाय।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिक्व किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यो का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यो पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।

Calley
Qu
fixing

[Signature]

- धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के रूप में उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- प्रस्तावित कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् ही कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- बजट अनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रख जायें।
- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से नुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुस्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।
- अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ की होगी।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

पत्रांक: /जि0यो 08-प्र0वि0स्वी0/2022-23 दिनांक: , 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़।
2. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमायू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघुडाल/सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।